रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1973/आषाढ़ 8, 1895
No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1973/ASADHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1973

S.R.O. 11-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of or connected with the maintenance of and running of trains on the Northeast Frontier Railway in the States of West Bengal, Bihar and Assam to be a service of vital importance to the community.

[No. F. 2(34)/73-D(GS-I.)]
L. DAYAL, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

एस० आर० ओ० 11(अ).— सशस्त्र सेवा (आपात ड्यूटियां) अधिनियम 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा आसाम राज्यों में उत्तर-पूर्व-सीमान्त रेलवे की रेल-गाड़ियों के अनुरक्षण तथा उन्हें चलाने से सम्बन्धित प्रत्येक सेवा को समाज के लिए अति महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[संख्या फा० 2(34)/73/डी० जी० एस०-(1).]

एल० दयाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1973